रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1979/फाल्गुन 28, 1900

No. 76] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1979/PHALGUNA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1979

सा०का०नि० 254(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर विचार किया जाएगा जिस तारीख को भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आपत्तियां या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम 1979 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 32 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

व्यापार नाम, विवरण तथा उत्पादन में प्रयुक्त संघटकों की सूची। "(क) इस सूची में संघटकों का उल्लेख, यथास्थिति, तौल या आयतन की मात्रा के हिसाब से अवरोही क्रम में किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 37क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा साम्पत्तिक खाद्यों के लेबलों का अनुमोदन:—

37. क. सभी प्रकार के साम्पत्तिक खाद्यों में, जहां काल्पनिक नाम या व्यापार नाम का प्रयोग किया जाता है, खाद्य के नाम या उस प्रवर्ग का, जिसके अंतर्गत वह इन नियमों के अधीन आता है, भी उल्लेख लेबल में किया जाएगा। ऐसे खाद्यों के लेबलों को, और विनिर्माण का, जिनका मानकीकरण परिशिष्ट 'ख' में नहीं किया गया है, खाद्य के विक्रय से पूर्व केन्द्रीय सरकार को अनुमोदित करना होगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "काल्पनिक व्यापार नाम" या "साम्पत्तिक नाम" से, खाद्य की ऐसी परम्परागत किस्म अभिप्रेत है जिसका इन नियमों के अधीन मानकीकरण नहीं किया गया है।"

4. उक्त नियमों के नियम 42 (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(त) परिष्कृत साल बीज वसा के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्:—

परिष्कृत साल बीज वसा —केवल बेकरी और कनफेक्शनरी में उपयोग के लिए। —सीधे उपयोग के लिए नहीं।

5. उक्त नियमों के नियम 44 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि, साम्पत्तिक खाद्य वस्तुओं के ऐसे लेबलों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 37 क के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित कर दिए गए हैं, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकेगी।"

6. उक्त नियमों के नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य के, जो शहद से मिलता जुलता है किन्तु शुद्ध शहद नहीं है, लेबल, पैकेज या विज्ञप्ति पर 'शहद' शब्द का या उसके समानार्थक या समरूप किसी शब्द का प्रयोग किसी अन्य शब्द, टिप्पण, चित्र या युक्ति के पूर्व या पश्चात् या उसके साथ, उस प्रकार नहीं करेगा कि उससे ऐसे खाद्य के शहद होने का आभास हो :

परन्तु शहद युक्त ऐसी साम्पत्तिक खाद्य वस्तु पर, जिसके लेबल को नियम 37 क के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित कर दिया गया है, संघटक के रूप में 'शहद' का उल्लेख किया जा सकता है।"

7. नियमों के नियम 49 में, उपनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(10) कोई भी व्यक्ति साल बीज वसा का खाद्य प्रयोजन के लिए विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह परिष्कृत नहीं कर दिया गया है और उस पर लगे लेबल पर नियम 42(7) में अभिकथित घोषणा नहीं है।"

8. उक्त नियमों के परिशिष्ट "ख" में,

(1) मद क. 10.06 के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"क. 10.07—साल बीज वसा:—

साल बीज वसा से, साल वृक्ष, शोरिया रोबस्टा, गैरटन (डिपटेरोकेपाका नहीं) के स्वच्छ और ठोस बीजों की गिरी से विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसा अभिप्रेत है। पिछलाए जाने पर वह स्वच्छ और अपमिश्रण तलछट, निलम्बित या अन्य विजातीय पदार्थों, पृथक्कृत जल या मिलाए गए रंजक पदार्थों से मुक्त होगा। यह निम्नलिखित मानकों के अनुसार होगा:—

(क) ब्यूटीरो रेफेक्टोमीटर 40° सें० पर————36.7- 51.0 या 40° सें० पर अपवर्तनांक————1.4500–1–4500

(ख) आयोडीन मान (विज पद्धति)————36—45

(ग) साबुनीकरण मान ————186—195

(घ) असाबुनीकरण पदार्थ————तोल में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

(ङ) छने हुए नमूने को 24 घन्टे तक 50° सें० पर रखने के पश्चात् कोई आविलता नहीं होगी।

(च) मुक्त वसा अम्ल (जिसे ओलीक अम्ल के नाम से अभिव्यक्त किया गया है) ————तोल में 6.0 प्रतिशत से अधिक नहीं

या

अम्ल तत्व————12.0 से अधिक नहीं।

साल बीज वसा का उपयोग केवल बेकरी और कन्फेक्शनरी में किया जाएगा। यह परिष्कृत की जाएगी और (क) से (ङ) तक में उल्लिखित मानकों के अनुरूप होगी। वह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगी, अर्थात्

(i) आर्द्रता तथा अन्य अविलेय अशुद्धियां————0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं

(ii) मुक्त वसा अम्ल (जिसे ओलीक अम्ल के नाम से अभिव्यक्त किया गया है)————1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं या अम्ल तत्व ————0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

(iii) 9.10एपोक्सी और 9.10डिहाइड्रोक्सी स्टिऐटिक अम्ल ————तोल में 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं

(iv) प्रज्वलनताप——(पेंस्की मार्टेन बंद पद्धति से) ——250° सें० से अधिक नहीं।

[सं० पी० 15011/23/78-पी० एच० (एफ और एन) पी० एफ० ए०]

टी० वी० अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1979

G.S.R. 254 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for food standards, is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 23 of the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1979.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 32, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the name, trade name, description of food, giving the list of ingredients used in the product in descending order of composition by weight or by volume as appropriate."

3. For rule 37A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"37A. Approval of labels of proprietory foods by Central Government :—In all types of proprietory foods where fancy names or trade names are used, the name of the food or the category under which it falls in these rules, shall also be mentioned on the label. The labels as well as the manufacture of such foods which are not standardised in Appendix B, shall be subjected to be approved by the Central Government, before sale.

Explanation : for the purposes of this rule "fancy trade name" or "proprietory name" means the non conventional type of food which has not been standardised under these rules."

4. After rules 42(S) of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

"(T) Every container of refined salseed fat shall bear the following label :—

REFINED SALSEED FAT
FOR USE IN BAKERY AND CONFECTIONERY ONLY
NOT FOR DIRECT CONSUMPTION.

5. In rule 44 of the said rules, after the exlsting proviso the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further, the labels of proprietory food articles, which are approved by the Central Government, under the provisions of rule 37A may be exempted from the operation of this rule."

6. For rule 45 of the said rules, the following shall be substituted, namely :—

"45. Food resembling but not pure honey not to be marked honey. No person shall use the word 'honey' as such or its synonym or homonym, or honey even in pre-fix or in suffix or in combination with any word, remark, illustrations or device that suggest honey on the label or in package or in any advertisement form in food that resembles honey, but is not pure honey :

Provided that the proprietory food article contalning honey, the label of which is approved under the provisions of rule 37A may contain 'Honey' as one of the ingredients."

7. In rule 49 of the said rules, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be Inserted namely :—

"(10) No person shall sell salseed fat for edible purpose unless it is refined and bears the label declaration as laid down in rule 42(T)".

8. In Appendix B of the said rules :

(i) after item A.10.06, the following item and entries shall be added, namely :—

"A.10.07—Salseed fat : Salseed fat means the fat obtalned by the process of solvent extraction from clean and sound seed kernels of Sal tree, Shorea robusta, Gaertn. f. (N-Dipterocarpaceae). On melting, it shall be clear and free from adulterants, sediment, suspended or other foreign matter, separated water or added colouring substance. It shall conform to the following standards :—

(a) Buryro-refrectometer reading at 40°C	36.7—51.0
Refractive Index at 40°C	1.4500-1.4600
(b) Iodine value (Wijs'method)	35-45
(c) Saponification value	186-195
(d) Unsaponifiable matter	Not more than 2.5 per cent by weight.
(e) 'There shall be no turbidity after keeping the filtered sample at 50°C for 24 hours.	
(f) Free Fatty acid (expressed as Oleic acid)	Not more than 6.0 per cent by weight.
or	
Acid value	Not more than 12.0.

Salseed fat shall be used only in bakery and confectionery. It shall be refined and shall conform to the standards at (a) to (c). Additionally, it shall conform to the following standards :—

(i) Moisture and other insoluble impurities	Not more than 0.1%
(ii) Free Fatty Acid (expressed as oleic acid)	Not more than 1.0%
or	
Acid value	Not more than 0.5.
(iii) 9.10 epoxy and 9,10 Dihydroxy stearic acid	Not more than 3.0% by weight.
(iv) Flash point (Pensky Marten closed method)	Not more than 250°C."

[No. P. 15011/23/78-PH(F & N) PEA]

T.V. ANTONY, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979